उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या–2455/छः–पु0–9–18–13(10)/84टी0सी0

लखनऊः दिनांकः 12 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

(प्रकीर्ण)

सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या–3, सन् 1867) की धारा–2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्धों का (जिनका विस्तार पहले नहीं किया गया है) जिला सम्भल में गंगा मेला सिसौना डांडा के क्षेत्र पर जिसमें ग्राम–सिसौना डांडा के निकट अनूपशहर पुल परगना रजपुरा, तहसील गुन्नौर और उक्त मेला के 1.5 कि0मी0 x 1.5 कि0मी0 क्षेत्रफल के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट है, दिनांक–16.11.2018 से 30.11.2018 (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) तक की अवधि के लिए विस्तार करते हैं।

भगवान स्वरूप

सचिव।

संख्या–2455(1)/छः–पु0–9–2018,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को गजट के आगामी अंक के भाग–4,खण्ड–'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। पांच–पांच मुद्रित प्रतियां शासन एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

संख्या–2455(2)/छः–पु0–9–2018,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0,लखनऊ।

(2) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल को उनके पत्रांक–186/न्या0 सहा0/मेला सिसौना डांडा/2018–19 दिनांक 23.10.2018 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया मुद्रित प्रतियां संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ से शीघ्र प्राप्त करने का कष्ट करें।

(4) पुलिस अधीक्षक सम्भल।

(5) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**

(6) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

E:\Data Police-9\Pramod Rai R O\Notification DRAFT 7921